न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 105 / 2022 / दावा 136 एलआरएक्ट

चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम, जाति जाट निवासी हरीपुरा, लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

– वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत उद्‌घोषणा व रिकार्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम वकील वादी की ओर से।

दिनांक– 25.07.2022

नि र्ण य

1 वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 26 रकबा 3.0800 हैक्टर, ख.नं. 27 रकबा 1.2500 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 4.3300 हैक्टर व खसरा नं. 391 रकबा 3.7600 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 3.7600 हैक्टर तथा ख.नं. 399 रकबा 5.1800 हैक्टर, कुल किता 1 कुल रकबा 5.1800 हैक्टर तथा ख.नं. 332 रकबा 0.6500 हैक्टर, ख.नं. 333 रकबा 0.3400 हैक्टर, ख.नं. 334 रकबा 0.5500 हैक्टर, ख.नं. 335 रकबा 0.5700 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 2.1100 हैक्टर तथा ख.नं. 359 रकबा 2.4300 हैक्टर, ख.नं. 397 रकबा 0.0600 हैक्टर, ख.नं. 398 रकबा 0.0100 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.5000 हैक्टर ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का लोसल भू.अ.नि. क्षेत्र लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें वादी का नाम चुनाराम पुत्र खुमाणाराम दर्ज है। उक्त भूमियों में वादी का जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। वादी का सही ब वास्तविक नाम चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम है जो वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य पहचान व इसी ग्राम की अन्य जमाबन्दी खसरा नं. 24 में वादी का नाम चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम चुन्नी लाल पुत्र खुमाणाराम की जगह चुनाराम पुत्र खुमाणाराम दर्ज हो गया है जो गलत है, चुनाराम पुत्र खुमाणाराम की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम उद्वघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम के स्थान पर चुनाराम पुत्र खुमाणाराम दर्ज हुआ है जो गलत है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम है तथ चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम तथा चुनाराम पुत्र खुमाणाराम एक ही पुरूष है जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 26, 27, 391, 399, 332, 333, 334, 335, 359, 397, 398 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम चुनाराम पुत्र खुमाणाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम चुन्नीलाल पुत्र खुमानाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम चुनाराम पुत्र खुमाणाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम चुन्नीलाल पुत्र खुमानाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम लोसल के खसरा नं. 359, 397, 398, 26, 27, 391, 399, 332, 333, 334, 335, में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम चुनाराम पुत्र खुमाणाराम जाति जाट दर्ज है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार पहचान के दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम चुन्नी लाल पुत्र खुमानाराम है। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट अनुसार चुनाराम पुत्र खुमाणाराम के स्थान पर चुन्नीलाल पुत्र खुमानाराम किये जाने की अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 26, 27, 391, 399, 332, 333, 334, 335, 359, 397, 398 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम चुनाराम पुत्र खुमानाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक राम चुन्नीलाल पुत्र खुमानाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/22

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर
इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

चुन्नीलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 105 / दावा सन् 2022 निर्णय दिनांक 25.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री हरदेवाराम मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 26, 27, 391, 399, 332, 333, 334, 335, 359, 397, 398 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम चुनाराम पुत्र खुमानाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक राम चुन्नीलाल पुत्र खुमानाराम संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.07.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
दस्तखत ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ